समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

कानपुर मे मेडिकल स्टोर घोटाला : नकली दवाओं और एक्सपायरी डेट छुपाने का बड़ा खुलासा

Publisher

Published on 08 Oct 2025

कानपुर में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा सामने आया है। शहर के मेडिकल स्टोर्स में **नकली और नशीली दवाओं** की सप्लाई का मामला उजागर हुआ है। नारकोटिक्स विभाग की सूचना पर हुई छापेमारी में यह खुलासा हुआ कि कई मेडिकल स्टोर्स में एक्सपायरी डेट छुपाकर दवा बेची जा रही थी। इस मामले में पांच लाख रुपये की नकली और नशीली दवाएं बरामद हुईं और 29 लाख रुपये की नकली दवाओं का सारा नेटवर्क सामने आया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। नकली दवाओं का सेवन न केवल रोगियों के लिए हानिकारक है बल्कि यह लंबे समय तक उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कानपुर में हुए इस खुलासे ने यह दिखाया कि कई स्टोर ग्राहकों की सुरक्षा की परवाह किए बिना केवल मुनाफे के लिए दवा सप्लाई कर रहे हैं।

नारकोटिक्स विभाग ने कहा कि इस छापेमारी की जानकारी उन्हें गुप्त सूचना मिलने के बाद मिली। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गईं। इन दवाओं में न केवल एक्सपायरी डेट मिटाई गई थी बल्कि कुछ दवाओं में नशीले तत्व भी शामिल पाए गए, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।

पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नकली दवाओं की सप्लाई लंबे समय से चल रही थी। कानपुर शहर में कई स्टोर इस अवैध धंधे में शामिल थे। विभाग ने इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है।

सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं मरीजों और आम नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स से अपील की कि वे केवल प्रमाणित और लाइसेंसी दवाओं की ही बिक्री करें और एक्सपायरी डेट जैसी जानलेवा गतिविधियों से बचें। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में सतर्क रहकर लगातार

निगरानी करनी चाहिए।

इस खुलासे के बाद कानपुर के नागरिकों में डर और चिंता की लहर है। लोग अब अपनी दवाओं की गुणवत्ता और असली होने की जांच करने के लिए सतर्क हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल स्टोर्स पर भी विश्वास खोने का खतरा महसूस किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी स्टोर्स और वितरकों की नियमित जांच और निगरानी आवश्यक है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एक्सपायरी डेट मिटाकर दवा बेचना न केवल **कानून का उल्लंघन** है बल्कि यह रोगियों के जीवन को भी खतरे में डालता है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि वे हमेशा प्रमाणित स्टोर से ही दवाएं खरीदें और किसी भी संदिग्ध दवा के सेवन से बचें।

नारकोटिक्स विभाग का कहना है कि बरामद दवाओं की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य स्टोर्स और सप्लायर की पहचान के लिए लगातार छापेमारी और जांच की जा रही है। उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में इस प्रकार के मामलों में कमी आएगी और नागरिक सुरक्षित रहेंगे।

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्युटिकल सप्लायरों की निगरानी और कानूनी कार्रवाई अत्यंत जरूरी है। केवल सरकारी निगरानी और छापेमारी ही ऐसे अवैध धंधों को रोक सकती है और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

कुल मिलाकर, कानपुर में इस प्रकार की बड़ी छापेमारी और नकली दवाओं का खुलासा नागरिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों दोनों के लिए चेतावनी है। यह घटना दिखाती है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल स्टोर्स की निगरानी पर हमेशा ध्यान देना आवश्यक है। नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जनता की सतर्कता भी अत्यंत जरूरी है।

इस घटना ने यह भी दिखाया कि एक्सपायरी डेट छुपाकर दवा बेचना केवल कानूनी अपराध नहीं है बल्कि यह लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे में नागरिकों को चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी संदिग्ध दवा को लेने से बचें।

कानपुर में हुई यह खुलासा और बरामदगी पूरे देश के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर सकती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजगता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों और जनता सुरक्षित रहे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.